क.

राजवती @राजजो और ओआरएस. वी.

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओ. आर. एस. (2022 की सिविल अपील संख्या 8179)

9 दिसंबर, 2022

**[**कृष्णा मुरारी और एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:s.166-क्षतिपूर्ति-तत्काल मामले में, उतावलेपन और लापरवाही से चलाए गए ट्रक के कारण हुई दुर्घटना में दो व्यक्तियों की (मौके पर ही) मौत हो गई-अपीलकर्ताओं (मृतक व्यक्तियों के आश्रितों) ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की-न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं को मुआवजा प्रदान किया लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष बीमा कंपनी की अपील पर, उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी के इस तर्क पर भरोसा करते हुए मुआवजे की मात्रा को कम कर दिया कि उक्त दस्तावेज जारी करने वाले व्यक्ति की जांच किए बिना न्यायाधिकरण द्वारा मृतक व्यक्तियों के वेतन प्रमाण पत्र और वेतन पर्ची को ध्यान में रखा गया था-अपील पर कहा गयाःउच्च न्यायालय ने वेतन प्रमाण पत्र और वेतन पर्ची को इस आधार पर अस्वीकार करते हुए गलती की कि इसे जारी करने वाले व्यक्ति की जांच नहीं की गई थी-उक्त दस्तावेज मृतक की आय का निर्णायक प्रमाण हैं और मृतक की पत्नी और उसके सहकर्मियों के बयानों से भी पुष्टि की गई थी-एक बार दुर्घटना की वास्तविक घटना स्थापित हो जाने के बाद, दिया गया मुआवजा न्यायसंगत और निष्पक्ष होना चाहिए।मोटर वाहन अधिनियम, 1988:लाभप्रद विधान-प्रमाण का मानक-मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एक लाभकारी कानून है और इस प्रकार, मुआवजे के मामलों से निपटने के दौरान, एक बार दुर्घटना की वास्तविक घटना स्थापित हो जाने के बाद, न्यायाधिकरण की भूमिका न्यायसंगत और निष्पक्ष मुआवजा देने की होगी-आपराधिक मुकदमे में लागू साक्ष्य के सख्त नियम, मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामलों में लागू नहीं होते हैं-ध्यान में रखे जाने वाले सबूत का मानक संभावना की प्रधानता का होना चाहिए न कि सभी उचित संदेह से परे सबूत का सख्त मानक जो आपराधिक मामलों में पालन किया जाता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:संघ का नुकसान-न्यायाधिकरण ने संघ के नुकसान के लिए Rs.40,000/- का आदेश दिया-इस शीर्ष के तहत मुआवजे को हर तीन साल के बाद 10 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

एच.



क.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम**, 1988** एक लाभकारी कानून है और इस तरह**,** मुआवजे के मामलों से निपटने के दौरान**,** एक बार दुर्घटना की वास्तविक घटना स्थापित हो जाने के बाद**,**

न्यायाधिकरण की भूमिका न्यायसंगत और उचित मुआवजा देने की होगी।आपराधिक मुकदमे में लागू साक्ष्य के सख्त नियम, मोटर दुर्घटना मुआवजे में लागू नहीं होते हैं।

मामले, अर्थात, कहने के लिए, "ध्यान में रखे जाने वाले सबूत का मानक संभावना की प्रधानता का होना चाहिए न कि सभी उचित संदेह से परे सबूत का सख्त मानक जिसका आपराधिक मामले में पालन किया जाता है।

मामले "।**[**पैरा **19] [852-**एफ**-**जी**]**

ग

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शीला दत्ता एंड ओआरएस।

(2011) 10 एससीसी 509:[2011] 14 एससीआर 763; सुनीता और

ओआरएस. वी.राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और

ओआरएस। (2020) 13 एससीसी 486:[2019] 3 एससीआर 329; कुसुम

लता और ओआरएस**.** वी**.**सतबीर और ओआरएस। **(2011) 3** एससीसी **646:[2011]**

डी.

**3** एस**.** सी**.** आर**. 480-**निर्भर।

**2.** उच्च न्यायालय द्वारा मृतक के वेतन प्रमाण पत्र और वेतन पर्ची को अस्वीकार करते समय केवल इस आधार पर विचार किया गया कि उपरोक्त दो दस्तावेज जारी करने वाले व्यक्ति की न्यायाधिकरण के समक्ष जांच नहीं की गई थी।उक्त दस्तावेज मृतक की आय का निर्णायक प्रमाण हैं और मृतक की पत्नी और उसके सहकर्मियों के बयानों से भी इसकी पुष्टि हुई है।इस प्रकार, उच्च न्यायालय संबंधित समय पर राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मृतक की आय **4,836/-** रुपये प्रति माह का आकलन करने में उचित नहीं था।**[**पैरा **20] [853-**ए**-**सी**]**

ई.

च

**3.** न्यायाधिकरण द्वारा संघ के नुकसान के लिए **Rs.40,000/-** का अनुदान अपर्याप्त है, और हस्तक्षेप के योग्य है।प्रत्येक अपीलार्थी को संघ के नुकसान के लिए कुल आई**.** डी**. 2,000/-** का अनुदान बढ़ाकर कुल आई**.** डी**. 1,000/-** कर दिया गया है।इसके साथ ही, 'अंतिम संस्कार खर्च' और 'संपत्ति के नुकसान' के लिए प्रत्येक के लिए **Rs.15,000/-** को भी बढ़ाकर **Rs.20,000/-** कर दिया गया है।**[**पैरा **31] [856-**एच**; 857-**ए**]**

जी.

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य

(2017) 16 एससीसी 680:[2017] 13 एस. सी. आर. 100; यूनाइटेड इंडिया ए

एच.

847

राजवती @राजजो और ओआरएस. वी.यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओ. आर. एस.

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर @सतविंदर कौर

& ओआरएस। (2021) 11 एस. सी. सी. 780-इसके बाद।

रामचनरप्पा बनाम प्रबंधक, रॉयल सुंदरम गठबंधन

बीमा कंपनी लिमिटेड (2011) 13 एस. सी. सी. 236:[2011] 9

एससीआर **922;** मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू

राम और ओआरएस। (2018) 18 एस. सी. सी. 130-संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

**[2011] 14** एससीआर **763**

पर भरोसा किया

पैरा **11**

**[2011] 9** एससीआर **922**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

ग

**(2018) 18** एससीसी **130**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

पैरा **17**

पर भरोसा किया

**[2019] 3** एससीआर **329**

**[2011] 3** एससीआर **480**

पर भरोसा किया

पैरा **18**

**[2017] 13** एससीआर **100**

पीछा किया।

पैरा **21**

डी.

**(2021) 11** एससीसी **780**

पीछा किया।

पैरा **22**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 8179।

एस. बी. सिविल विविध मामले में जयपुर में राजस्थान न्यायपीठ के लिए उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।2019 की अपील संख्या 441।

ई.

सह

2022 की सिविल अपील संख्या 8180।

अनुज भंडारी, गौरव जैन, सुश्री अंजलि दोशी, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

च

एस. एल. गुप्ता, सुश्री गुंजन शर्मा, माता प्रसाद सिंह, नीरज श्रीवास्तव, सुश्री रंजना आर. सिंह, गुरमीत सिंह, धर्म पाल सैनी, वरिंदर कुमार शर्मा, सुश्री निधि, सार्थक अरोड़ा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

जी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी**,** न्या**.**

ये दोनों अपीलें राजस्थान, जयपुर के उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश 29.04.2019 के खिलाफ निर्देशित हैं।

एच.

848

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 17 एस सी आर।

क.

दो विविध अपीलों में पीठ (इसके बाद 'उच्च न्यायालय' के रूप में संदर्भित) (S.B.Misc होने के नाते।अपील सं. 441/2019 और एस. बी. विविध।मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, कमान, जिला भरतपुर (जिसे इसके बाद 'ज्ञात न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित दिनांकित निर्णय और पुरस्कार को अलग करने की मांग करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर अपील संख्या 561/2019)।सिविल (एम. ए. सी.) नं. 18/2016 (13/2014) और विविध।सिविल (एम. ए. सी.) सं. 14/2014।ये दोनों अपील एक ही दुर्घटना से उत्पन्न होती हैं।इसलिए, उन्हें एक साथ जोड़ा गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा तय किया जा रहा है।

2. दोनों मामलों में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 की अपील को यहां स्वीकार कर लिया और विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार को संशोधित किया, और दावेदारों/अपीलार्थियों को दिए गए मुआवजे को कम कर दिया।

ग

**2022** का नागरिक आवेदन संख्या **8179**

3. अपीलकर्ता घसीता राम (जिसे इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित किया गया है) के उत्तराधिकारी और आश्रित हैं, जिनकी मृत्यु एक मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप 29.10.2013 पर हुई थी।मृतक पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड में ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। 29.10.2013 पर, लगभग 8 बजेः00 प्रधानमंत्री, मृतक (अपने सहकर्मी कांति लाल के साथ) काम से घर लौटते समय मोटरसाइकिल पर सवार था, जब प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उतावले और लापरवाही से चलाए जा रहे एक ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी।मृतक और उसका सहकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अपने पीछे पाँच आश्रितों को छोड़ गया है जो इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी हैं।

डी.

ई.

4. अपीलार्थियों ने एक दावा याचिका दायर की [विविध होने के नाते।सिविल (एम. ए. सी.) सं. 18/2016 (13/2014)] मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष, ब्याज के साथ Rs.91,46,000/- की राशि के मुआवजे की मांग करते हुए।दिनांक 26.10.2018 के निर्णय और पुरस्कार के माध्यम से, लर्नड ट्रिब्यूनल ने Rs.19,64,218.75 के मुआवजे का आदेश दिया-दावा याचिका दायर करने की तारीख से डिक्रीटल राशि की प्राप्ति तक प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ।5. विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक की मृत्यु प्रतिवादी संख्या 3 की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई दुर्घटना में लगी चोटों के परिणामस्वरूप हुई।दुर्घटना के समय मृतक की आयु 41 वर्ष थी, और इसका पता उसके ड्राइविंग लाइसेंस (प्रदर्शनी-ए 1) के आधार पर लर्नड ट्रिब्यूनल द्वारा लगाया गया था, जिसमें ए दर्ज किया गया था।

च

जी.

एच.

849

राजवती @राजजो और ओआरएस. वी.यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओ. आर. एस. [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

उनकी जन्म तिथि 25.08.1972 है।प्रदर्शनी-19 (वेतन प्रमाण पत्र) और प्रदर्शनी-20 (वेतन पर्ची) प्रस्तुत की गई।वेतन पर्ची के आधार पर, विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतक की आय का आकलन Rs.11,225/- प्रति माह किया।इसमें 25 प्रतिशत भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ा गया था जिससे उनकी मासिक आय Rs.14,031.25-हो गई।लर्नड ट्रिब्यूनल ने 15 का गुणक जोड़ा, जिससे मुआवजे की गणना Rs.25,25,635/- (Rs.14,031.25 x 12 x 15) की गई।व्यक्तिगत खर्चों के लिए कुल आय का एक चौथाई हिस्सा (6,31 रुपये, 406.25-) काटने के बाद, विद्वान न्यायाधिकरण Rs.18,94,218.75-के मुआवजे पर पहुंचा।इसके अलावा, विद्वान न्यायाधिकरण ने संघ के नुकसान के लिए Rs.40,000, संपत्ति के नुकसान के लिए Rs.15,000/- और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए Rs.15,000/- का आदेश दिया।6. इस प्रकार, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा विभिन्न शीर्षों के तहत अपीलार्थियों को दिया गया मुआवजा निम्नानुसार थाः

ग

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

डी.

लर्नड ट्रिब्यूनल ने दावा याचिका दायर करने की तारीख से डिक्रिटल राशि की प्राप्ति तक 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना की।उत्तरदाताओं को उक्त राशि का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से या अलग-अलग उत्तरदायी ठहराया गया था।

ई.

7. पीड़ित होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।आई. डी. 2 के निर्णय और अंतिम आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने कहा कि विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतक की आय का पता लगाने के लिए वेतन प्रमाण पत्र

(प्रदर्शनी-19) और वेतन पर्ची (प्रदर्शनी-20) पर भरोसा करने में गलती की क्योंकि उक्त दस्तावेज जारी करने वाले व्यक्ति की विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष जांच नहीं की गई थी।तदनुसार, उच्च न्यायालय ने आय का आकलन रु। संबंधित समय पर राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए 4,836/- प्रति माह।इसमें से एक चौथाई राशि मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए काट ली गई, जिससे यह आंकड़ा 3,627/- रुपये हो गया।इसमें 14 का गुणक जोड़ा गया और मुआवजा रु. 6,09,336-(3,627/- x 12 x 14 रुपये) था।इसके अलावा, भविष्य की संभावनाओं के लिए 25 प्रतिशत राशि (1 करोड़ रुपये की राशि) प्रदान की गई।इस प्रकार, निर्भरता के नुकसान की गणना रु. 7,61,670-(रु. 6,09,336-+ रु. 1,52,334-) पर की गई थी।द हाई

च

जी.

एच.



अदालत ने आगे संघ के नुकसान के लिए Rs.40,000/- और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए Rs.15,000/- का फैसला सुनाया।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा कुल रु. 8,16,670-(रु. 6,09,336-+ रु. 1,52,334-+ Rs.40,000/- + Rs.15,000/-) का मुआवजा दिया गया।लर्नड ट्रिब्यूनल द्वारा पारित मूल पुरस्कार के शेष नियमों और शर्तों की पुष्टि की गई।
8. इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न शीर्षों के तहत दिए गए मुआवजे का उल्लेख नीचे किया गया हैः

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ग

9. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

डी.

10. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अनुज भंडारी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय मृतक की वेतन पर्ची और वेतन प्रमाण पत्र को अस्वीकार करने में यह ठहराकर उचित नहीं ठहरा रहा था कि उक्त दस्तावेज जारी करने वाले व्यक्ति की जांच नहीं की गई थी।यह तर्क दिया गया कि मृतक की पत्नी (अपीलार्थी संख्या 1) ने विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष गवाही दी थी कि मृतक एक चालक के रूप में अपनी नौकरी से और कृषि कार्य करके भी लगभग <ID1,000/- कमा रहा था।उनके सहकर्मियों (जो दुर्घटना के चश्मदीद भी थे) ने भी इसकी गवाही दी थी।यह भी तर्क दिया गया कि मृतक के वेतन के संबंध में अपीलार्थी संख्या 1 के साक्ष्य की पुष्टि मृतक के वेतन प्रमाण पत्र और वेतन पर्ची से की गई थी।उच्च न्यायालय के लिए तथ्य के शुद्ध निष्कर्ष के संबंध में विद्वान न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार करने और पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना करने का कोई अवसर नहीं था।यह भी उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता अनजाने में मृतक की पास-बुक (उसके वेतन को <ID1,000/- प्रति माह के रूप में दर्शाते हुए) विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके और उनकी प्रतियां इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं।

ई.

च

जी.

11. उपरोक्त दलीलों का समर्थन करने के लिए, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शीला दत्ता एंड ओआरएस। **1.**

1 (2011) 10 एससीसी 509 ए

एच.

851

राजवती @राजजो और ओआरएस. वी.यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओ. आर. एस. [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

12. रिलायंस को इस अदालत के फैसले पर भी रखा गया था

रामचनरप्पा बनाम का मामला। प्रबंधक, रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2

13. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि पांच आश्रितों को संघ के नुकसान के लिए दी गई Rs.40,000/- की राशि बहुत कम है और प्रत्येक आश्रित उक्त शीर्ष के तहत Rs.40,000/- की राशि प्राप्त करने का हकदार है।मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मामले में इस अदालत के फैसले में उपरोक्त तर्क का समर्थन करने के लिए रिलायंस बनाया गया है।

लिमिटेड बनाम नानू राम और ओआरएस। **3.**

14. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए क्रमशः विद्वान वकील श्री वरिंदर कुमार शर्मा और सुश्री निधि ने तर्क दिया कि मृतक के वेतन प्रमाण पत्र और वेतन पर्ची को विद्वान न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष साबित नहीं किया जा सकता है, और इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे का अनुदान न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित है और इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

ग

15. हमने पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।16. शिला दत्त (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

“10. अधिनियम की धारा 165 के तहत गठित मोटर दुर्घटना दावा अध्ययन न्यायाधिकरण के समक्ष मोटर दुर्घटना (घायल या आश्रित परिवार के सदस्यों द्वारा मृत्यु के मामले में दायर) के संबंध में मुआवजे के लिए दावा याचिका न तो एक मुकदमा है और न ही पारंपरिक अर्थों में एक प्रतिकूल याचिका है।यह अधिनियम के अध्याय XII के प्रावधानों के संदर्भ में और उनके द्वारा विनियमित एक कार्यवाही है जो अपने आप में एक पूर्ण संहिता है।हम इस संदर्भ में विद्वान न्यायाधिकरणों और विद्वान न्यायाधिकरणों द्वारा मुआवजे के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख कर सकते हैंः

ई.

च

...

((ii) अभिवचन के नियम सख्ती से लागू नहीं होते हैं क्योंकि दावेदार को अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना आवश्यक है। वास्तव में, ऐसा कोई अभिवचन नहीं है जहां कार्यवाही विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा स्वतः शुरू की गई हो।

जी.

...

2 (2011) 13 एससीसी 236 3 (2018) 18 एससीसी 130

एच.

852 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 17 एस. सी. आर.

(vi) विद्वत न्यायाधिकरण से ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है जो वह उचित समझे।यह जांच करने में सहायता करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों का चयन कर सकता है जिनके पास विशेष ज्ञान और जांच से संबंधित मामले हैं (अधिनियम की धारा 169 के अनुसार)।"

17. इस संबंध में सुनीता और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया जा सकता है। बनाम।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य। **4,** जहाँ यह था

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“इस प्रकार यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि मोटर दुर्घटना दावा मामलों में, एक बार मूलभूत तथ्य, अर्थात् दुर्घटना की वास्तविक घटना, स्थापित हो जाने के बाद, न्यायाधिकरण की भूमिका न्यायसंगत मुआवजे की मात्रा की गणना करना होगी यदि दुर्घटना मोटर वाहन के चालक की लापरवाही के कारण हुई थी और ऐसा करते समय, न्यायाधिकरण पक्षों की दलीलों से सख्ती से बाध्य नहीं होगा।विशेष रूप से, मोटर वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले मामलों का निर्णय लेते समय, ध्यान में रखे जाने वाले प्रमाण का मानक संभावना की प्रधानता का होना चाहिए न कि सभी उचित संदेह से परे प्रमाण का सख्त मानक जिसका आपराधिक मामलों में पालन किया जाता है।"

ग

डी.

18. इसी तरह, कुसुम लता और ओआरएस के मामले में। बनाम सतबीर और

ई.

ओआरएस। 5, इस न्यायालय ने कहा कि यह सर्वविदित है कि मोटर दुर्घटना के दावों से संबंधित मामले में, दावेदारों को मामले को साबित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे आपराधिक मुकदमे में किया जाना आवश्यक है।न्यायालय को इस भेद को ध्यान में रखना चाहिए।

19. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एक लाभकारी कानून है और इस तरह, मुआवजे के मामलों से निपटने के दौरान, एक बार दुर्घटना की वास्तविक घटना स्थापित हो जाने के बाद, न्यायाधिकरण की भूमिका न्यायसंगत और उचित मुआवजा देने की होगी।जैसा कि आयोजित किया गया है

च

यह न्यायालय सुनीता (सुप्रा) और कुसुम लता (सुप्रा) में, के सख्त नियम

आपराधिक मुकदमे में लागू होने वाले साक्ष्य, मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामलों में लागू नहीं होते हैं, अर्थात, यह कहने के लिए कि "सबूत का मानक

जी.

ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संभावना की प्रधानता होनी चाहिए न कि सभी उचित संदेह से परे सबूत का सख्त मानक जिसका आपराधिक मामलों में पालन किया जाता है।

4 (2020) 13 एससीसी 486 5 (2011) 3 एससीसी 646 ए

एच.

853

राजवती @राजजो और ओआरएस. वी.यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओ. आर. एस. [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा मृतक के वेतन प्रमाण पत्र (प्रदर्शनी 19) और वेतन पर्ची (प्रदर्शनी 20) को केवल इस आधार पर अस्वीकार करते हुए लिए गए विचार से सहमत नहीं हैं कि उपरोक्त दो दस्तावेज जारी करने वाले व्यक्ति से विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष पूछताछ नहीं की गई थी।उक्त दस्तावेज मृतक की आय का निर्णायक प्रमाण हैं और मृतक की पत्नी (अपीलार्थी संख्या 1) और उसके सहकर्मियों के बयानों से भी इसकी पुष्टि हुई है।इस प्रकार, उच्च न्यायालय संबंधित समय पर राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मृतक की आय 4,836/- रुपये प्रति माह का आकलन करने में उचित नहीं था।परिणामस्वरूप, हम विद्वान न्यायाधिकरण के निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं जहाँ तक वे उपरोक्त दो दस्तावेजों के आधार पर प्रति माह <आईडी1,225/- पर मृतक की आय का आकलन करने से संबंधित हैं।इसलिए मृतक की वार्षिक आय, Rs.11,225/- x 12 = रु. 1,34,700-है।

ग

21. जहाँ तक मृतक की आयु का संबंध है, मृतक के ड्राइविंग लाइसेंस (प्रदर्शनी ए 1) के आधार पर 41 वर्ष का निर्धारण करने में विद्वान न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण सही था, और इसी की पुष्टि की जाती है।हालांकि, 25 प्रतिशत पर भविष्य की संभावनाओं के पुरस्कार में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए

डी.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी में इस न्यायालय का

& ओआरएस। 6, हम मृतक की भविष्य की संभावनाओं का आकलन करने के लिए इच्छुक हैं, उसकी उम्र को देखते हुए, उसकी वार्षिक आय (रु. 1,34,700-) का 30 प्रतिशत, जो Rs.40,410/- है।इसलिए, भविष्य की संभावनाओं के लिए वार्षिक आय लेखांकन रु. 1,34,700-+ Rs.40,410/- = रु. 1,75,110 है।इसे ध्यान में रखते हुए

ई.

सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य। 7, 1/4 वां

उक्त राशि मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए काट ली जाएगी क्योंकि वह शादीशुदा था और उसके 5 आश्रित थे।1/4 रुपये का th. 1,75,110-Rs.43,777.5-है।रुपये. 1,75,110-- Rs.43,777.5-= 1,31 रुपये, 332.5--।तदनुसार, 14 के गुणक को लागू करने के बाद (क्योंकि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी), निर्भरता के नुकसान का आकलन 1,31 रुपये, 332.5-x 14 = Rs.18,38,655/- पर किया जाएगा।

च

22. मृतक अपने पीछे पाँच आश्रितों, अर्थात् वर्तमान अपीलार्थियों को छोड़ गया।इसे ध्यान में रखते हुए, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा संघ के नुकसान के लिए Rs.40,000/- का अनुदान हमारे विचार में अपर्याप्त है, और हस्तक्षेप के योग्य है।संयुक्त भारत में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

जी.

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर @सतविंदर कौर और अन्य। **8,** है

6 (2017) 16 एससीसी 680 7 (2009) 6 एससीसी 121 8 (2021) 11 एससीसी 780

एच.

854

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 17 एस सी आर।

Rs.40,000/- की दर से और Rs.40,000/- की दर से प्रत्येक बच्चे को माता-पिता के संघ के नुकसान की ओर।इन शीर्षों के तहत मुआवजे में भी हर तीन साल के बाद 10 प्रतिशत की वृद्धि करने की आवश्यकता है।तदनुसार, संघ के नुकसान के लिए प्रत्येक अपीलार्थी को कुल ₹2,000/- का अनुदान बढ़ाकर ₹1,000/- कर दिया गया है, जिसकी कुल राशि ₹3,000/- है। इसके साथ-साथ, 'अंतिम संस्कार के खर्च' और 'संपत्ति के नुकसान' के लिए प्रत्येक के लिए Rs.15,000/- भी बहुत कम है। हमारी सुविचारित राय में, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए Rs.20,000/- की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।इसी तरह, 'संपत्ति के नुकसान' के लिए Rs.15,000/- का पुरस्कार बढ़ाकर Rs.20,000/- किया जा सकता है।

23. अतः, मृतक की आय के आधार पर विभिन्न शीर्षों के तहत अपीलार्थियों को देय कुल मुआवजा, जैसा कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है, इस प्रकार होगाः

ग

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

डी.

24. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रदत्त कुल मुआवजे पर देय ब्याज की दर की गणना ज्ञात न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर करने की तारीख से प्राप्ति की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की गणना के लिए उत्तरदायी है।

ई.

**2022** का नागरिक आवेदन संख्या **8180**

25. 2022 की संबद्ध सिविल अपील संख्या 8180 (सीमा और अन्य)। बनाम। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य) एक ही मोटर दुर्घटना से उत्पन्न हो रही है, और तथ्यों और परिस्थितियों के एक ही सेट पर आधारित है, केवल अंतर मृतक कांति लाल की उम्र है जो उनकी मृत्यु के समय 38 वर्ष की थी।लर्नड ट्रिब्यूनल ने मासिक आय का आकलन Rs.11,225/- किया और भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत का भुगतान किया जिससे उनकी मासिक आय Rs.15,715/- हो गई।इसमें, न्यायाधिकरण ने 15 का गुणक जोड़ा, जिससे मुआवजे की गणना Rs.28,28,700/- (Rs.15,715/- x 12 x 15) की गई।व्यक्तिगत खर्चों के लिए कुल आय का एक चौथाई हिस्सा (रुपये की राशि) काटने के

बाद, न्यायाधिकरण 21,525/- के मुआवजे पर पहुंचा।इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने नुकसान ए के लिए Rs.40,000 का फैसला सुनाया।

च

जी.

एच.

855

राजवती @राजजो और ओआरएस. वी.यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओ. आर. एस. [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

परिसंघ का, संपत्ति के नुकसान के लिए Rs.15,000/- और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए Rs.15,000/-।

26. इस प्रकार, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा विभिन्न शीर्षों के तहत अपीलार्थियों को दिया गया मुआवजा निम्नानुसार थाः

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ग

लर्नड ट्रिब्यूनल ने दावा याचिका दायर करने की तारीख से डिक्रिटल राशि की प्राप्ति तक 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना की।उत्तरदाताओं को उक्त राशि का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से या अलग-अलग उत्तरदायी ठहराया गया था।

डी.

27. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर अपील पर, उच्च न्यायालय ने निर्णय और दिनांक 29.04.2019 के अंतिम आदेश के माध्यम से कहा कि न्यायाधिकरण ने वेतन प्रमाण पत्र (प्रदर्शनी-17) और वेतन पर्ची (प्रदर्शनी-17) पर भरोसा करने में गलती की है।18) मृतक की आय का पता लगाने के लिए <आईडी1,225/- प्रति माह, क्योंकि उक्त दस्तावेज जारी करने वाले व्यक्ति की न्यायाधिकरण के समक्ष जांच नहीं की गई थी।तदनुसार, उच्च न्यायालय ने संबंधित समय पर राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए प्रति माह 4,836 रुपये की आय का आकलन किया।इसमें से एक चौथाई राशि मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए काट ली गई, जिससे यह आंकड़ा 3,627 रुपये हो गया।इसमें 15 का गुणक जोड़ा गया और मुआवजा रु. 6,52,860-(3,627/- x 12 x 15 रुपये) था।इसके अलावा, 40 प्रतिशत भविष्य की संभावनाओं के लिए (रु. 2,61,144-), संघ के नुकसान के लिए Rs.40,000/- और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए Rs.15,000/- दिए गए।

ई.

च

28. इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न शीर्षों के तहत दिए गए मुआवजे का उल्लेख नीचे किया गया हैः

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

जी.

एच.

856

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 17 एस सी आर।

न्यायाधिकरण द्वारा पारित मूल निर्णय के शेष नियमों और शर्तों की पुष्टि की गई।

29. राजवती @रज्जो और अन्य के मामले में समान तर्क लागू करना। बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2022 की संबद्ध सिविल अपील संख्या 8179), हमारी राय है कि न्यायाधिकरण ने इस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, अर्थात् वेतन प्रमाण पत्र (प्रदर्शनी-17) और वेतन पर्ची (प्रदर्शनी-2022) पर भरोसा करते हुए मृतक की मासिक आय का सही निर्धारण किया है।18), साथ ही मृतक की पत्नी और उसके सहकर्मियों के बयान।हम उच्च न्यायालय के उस विचार से सहमत नहीं हैं जिसमें कहा गया है कि चूंकि उपरोक्त दो दस्तावेज जारी करने वाले व्यक्ति की न्यायाधिकरण के समक्ष जांच नहीं की गई थी, इसलिए संबंधित समय पर राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए मृतक की आय का निर्धारण 4,836/- रुपये प्रति माह किया गया था।परिणामस्वरूप, हम न्यायाधिकरण के निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं जहाँ तक वे मृतक की आय का आकलन Rs.11,225/- प्रति माह करने से संबंधित हैं।इसलिए मृतक की वार्षिक आय Rs.11,225/- x12 = रु. 1,34,700-है।

ग

डी.

30. जहाँ तक मृतक की आयु का संबंध है, मृतक के ड्राइविंग लाइसेंस (प्रदर्शनी ए 2) के आधार पर 38 वर्ष का निर्धारण करने में न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण सही था, और एतद्द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है।हालांकि, 40 प्रतिशत पर भविष्य की संभावनाओं के पुरस्कार में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।प्रणय सेठी (सुप्रा) मामले में इस अदालत की पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, हम मृतक की भविष्य की संभावनाओं का आकलन करने के लिए इच्छुक हैं, उसकी उम्र को देखते हुए, उसकी वार्षिक आय (रु. 1,34,700-) का 50 प्रतिशत, जो कि Rs.67,350/- है।इसलिए, भविष्य की संभावनाओं के लिए वार्षिक आय लेखांकन रु. 1,34,700-+ Rs.67,350/- = रु. 2,02,050-है।सरला वर्मा (सुप्रा) को ध्यान में रखते हुए, उक्त राशि का एक चौथाई मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटा जाएगा क्योंकि वह शादीशुदा था और उसके 4 आश्रित थे।इसलिए, रुपये का 1/4 वां हिस्सा. 2,02,050-Rs.50,512.5-, रु. 2,02,050--Rs.50,512.5-= रु. 1,51,537.5-है।तदनुसार, 15 के गुणक को लागू करने के बाद (क्योंकि मृतक की आयु 36 से 40 वर्ष के बीच थी), निर्भरता के नुकसान का आकलन 1,51,537.5-x 15 = Rs.22,73,062.5-पर किया जाएगा।

ई.

च

जी.

31. मृतक अपने पीछे चार आश्रितों, अर्थात् वर्तमान अपीलार्थियों को छोड़ गया।इसे देखते हुए, न्यायाधिकरण द्वारा संघ के नुकसान के लिए Rs.40,000/- का अनुदान हमारे विचार में अपर्याप्त है, और हस्तक्षेप के योग्य है।सतिंदर कौर @सतविंदर कौर ए पर भरोसा करना

एच.

857

राजवती @राजजो और ओआरएस. वी.यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओ. आर. एस. [कृष्णा मुरारी, जे।]

(ऊपर), संघ के नुकसान के लिए प्रत्येक अपीलार्थी को कुल ₹1,000/- का अनुदान बढ़ाकर ₹2,000/- कर दिया गया है, जो कुल रु.इसके साथ ही, 'अंतिम संस्कार खर्च' और 'संपत्ति के नुकसान' के लिए प्रत्येक के लिए Rs.15,000/- को भी बढ़ाकर Rs.20,000/- कर दिया गया है।

32. अतः, मृतक की आय के आधार पर विभिन्न शीर्षों के तहत अपीलार्थियों को देय कुल मुआवजा, जैसा कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है, इस प्रकार होगाः

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ग

33. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रदत्त कुल मुआवजे पर देय ब्याज की दर की गणना ज्ञात न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर करने की तारीख से प्राप्ति की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की गणना के लिए उत्तरदायी है।

डी.

34. नतीजतन, दोनों अपीलों में उच्च न्यायालय के दिनांकित 29.04.2019 के विवादित निर्णयों को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है।

ई.

35. तदनुसार, दोनों अपीलों को स्वीकार किया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)

च

जी.

एच.